

(323) (19)

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

पत्रांक-10/वि0यो0-21/2004-950 दिनांक-25.5.07

अधिसूचना

समाज कल्याण विभागीय के अधिसूचना सं0-169 दिनांक-10.03.2005 को अवकमित करते हुए निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 50 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में अधिनियम की धारा 52 के तहत विकलांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ कार्यरत/संचालित गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के निबंधन हेतु राज्य आयुक्त, निःशक्तजन को सक्षम प्राधिकार नियुक्त किया जाता है।

2. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

(विजय प्रकाश)

सचिव, समाज कल्याण।

ज्ञापांक-10/वि0यो0-21/2004 - 950

पटना, दिनांक- 25.5.07

प्रतिलिपि:- सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विजय प्रकाश)

सचिव, समाज कल्याण।

ज्ञापांक-10/वि0यो0-21/2004 - 950

पटना, दिनांक- 25.5.07

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विजय प्रकाश)

सचिव, समाज कल्याण।